### **Dr. Honey sinha Assistant Professor Department of Commerce sub financial accounting Bcom part 1st, Snsrks colleges saharsa**

### **किराया-क्रय पद्धति की विशेषतायें**

### **(Characteristics of Hire-Purchase System)**

किराया-क्रय पद्धति की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं :

**(1) माल की उधार बिक्री (Credit Sale of Goods) :** इस पद्धति के अन्तर्गत माल के सम्पूर्ण मूल्य का भुगतान क्रय करते समय नहीं किया जाता है वरन् किश्तों में किया जाता है। अतः माल की बिक्री उधार होती है।

**(2) मूल्य का भुगतान किश्तों में (Payment of Price in Instalments) :** किराया-क्रेता द्वारा माल के मूल्य का भुगतान पूर्व-निश्चित सामयिक किश्तों में किया जाता है। इन किश्तों में ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित होती है। \_\_

**(3) माल की सुपुर्दगी (Delivery of Goods)** : किराया-क्रय अनुबन्ध होने पर माल किराया-क्रेता के सुपूर्द कर दिया जाता है ।

**(4) माल को प्रयोग करने का अधिकार (Right to Use the Goods) :** किराया-क्रेता को माल की सुपुर्दगी के बाद उसे प्रयोग करने का अधिकार होता है। अतः यह किराया-क्रेता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह माल का प्रयोग करे या न करे।

**(5) माल का स्वामित्व (Ownership of Goods) :** अन्तिम किश्त के भुगतान के पूर्व माल पर किराया-विक्रेता का स्वामित्व । रहता है और अन्तिम किश्त के भुगतान के बाद माल पर किराया-क्रेता का स्वामित्व हो जाता है।

**(6) क्रेता द्वारा अन्तिम किश्त का भुगतान करने से पहले माल बेचना अवैध (Sale of Goods is Invalid before Payment of Last Instalment by the Hire-Purchaser) :** किराया-क्रेता इस पद्धति के अनुसार जान भुगतान करने से पहले और किराया-विक्रेता की स्वीकृति के बिना माल को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकता ।

**(7) किराया-विक्रेता का माल पर कब्जा करने का अधिकार (Right to Repossession of Goods by the Hire-Vendor) :** यदि माल का किराया-क्रेता किश्तों का भुगतान नहीं करता है तो किराया-विक्रेता का माल को वापस लेने और किराया-क्रेता द्वारा भुगतान की गई किश्तों का जब्त करने का अधिकारी होता है।

**(8) किराया-क्रेता का दायित्व (Liability of Hire-Purchaser) :** माल की अन्तिम किश्त का भुगतान होने तक माल को सावधानीपूर्वक रखने का दायित्व किराया-क्रेता का ही होता है। वस्तु को सावधानी पूर्वक रखने पर टूट-फूट होने की दशा में उसकी मरम्मत का दायित्व किराया-विक्रेता पर होता है।

**(9) किराया-क्रेता द्वारा माल वापस किया जाना (Return of Goods by Hire-Purchaser) :** माल की अन्तिम किश्त का भुगतान करने से पहले यदि किराया-क्रेता चाहे तो वह किराया-विक्रेता को 14 दिन का लिखित नोटिस देकर माल वापिस कर सकता है लेकिन वह भुगतान की गयी किश्तों की धनराशि वापिस नहीं माँग सकता। यह धनराशि किराया- विक्रेता द्वारा किराये के स्वरूप मान ली जाती है।